भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .773

दिनांक24.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और त्वरण

773. श्री प्रदीप पुरोहित :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आरएएमपी योजना के अंतर्गत ओडिशा राज्य से कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) प्राप्त हुई है और यदि हां, तो इसे प्रस्तुत करने का वर्ष क्या है और इसके अनुमोदन की स्थिति क्या है;

(ख) आरएएमपी योजना के अंतर्गत ओडिशा को अब तक कुल कितनी निधि संस्वीकृत और जारी की गई हैं तथा वास्तविक उपयोग तथा अप्रयुक्त शेष राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा में विशेषकर पिछड़े और जनजातीय जिलों में आरएएमपी योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले एमएसएमई की संख्या कितनी है और उन्हें प्रदान की गई सहायता की प्रकृति क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ओडिशा में आरएएमपी के अंतर्गत महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो ऐसे कितने उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है और किन-किन श्रेणियों की सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को एमएसएमई कार्यनिष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप) स्कीम के अंतर्गत ओडिशा सरकार से दिनांक 16.09.2023 को कार्यनीतिकनिवेश योजना (एसआईपी) प्राप्त हुआ।मंत्रालय ने दिनांक 11.12.2023 को ओडिशा सरकार को एसआईपी में छह क्रियाकलापों के लिए 57.34 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया है।

(ख) रैंपकेंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इसलिए,राज्य-वार/ज़िला-वार बजट आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, अनुमोदितक्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए निधि अनुमोदितकी गई है। रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत ओडिशा राज्य के संबंध में संस्वीकृत, जारी, उपयोग की गई और अप्रयुक्त शेष धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अनुमोदित निधि (करोड़ रु. में)	जारी की गई निधि (करोड़ रु. में)	वास्तविक उपयोग (करोड़ रु. में)	अप्रयुक्त शेष धनराशि (करोड़ रु. में)
एसआईपी तैयारी हेतु निधि: 5,00,00,000 रु. एसआईपी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित अनुदान: 57,34,00,000 कुल: 62,34,00,000	34,05,85,160	8,71,80,483	25,34,04,677*

* ट्रेजरी एकल खाता (टीएसए) निधि प्रवाह मॉडल में परिवर्तन को सक्षम करने के लिए भारत के समेकित कोष में निधि वापस कर दी गई।

(ग) रैंप स्कीम के अंतर्गत, विशेष रूप से ओडिशा के पिछड़े और आदिवासी जिलों में, लाभान्वित एमएसएमई की संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(घ) रैंप स्कीम के अंतर्गत, सरकार ने ओडिशा सहित देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। एसआईपी क्रियाकलापों के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ावा देने के अलावारैंप, एमएसएमई मंत्रालय की अन्य विभिन्न पहलों, जैसे - उद्यम पंजीकरण/उद्यम सहायता मंच, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, एमएसई के लिए ऋण गारंटी स्कीम के माध्यम से महिला-स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ऋण गारंटीको भी समर्थन प्रदान करता है।

रैंप के शुभारंभ के बाद से ओडिशा में लाभान्वित महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की क्रियाकलाप/स्कीम-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**क्रियाकलाप**	**ओडिशा में लाभान्वित महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या**
1	उद्यम पंजीकरण	125.03लाख
2	एमएसएमई सतत (जीरो इफेक्टजीरोडिफेक्ट)	कांस्य प्रमाणन: 504 रजत प्रमाणन: 12 स्वर्ण प्रमाणन: 3
3	एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन स्कीम	बेसिक प्रमाणपत्र : 31 इंडरमीडिएट पंजीकरण: 5
3	ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन (एमएसएमई टीम पहल)	8
4	महिलास्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी	46,926
5	एसआईपी क्रियाकलाप - क्षमता निर्माण कार्यशालाएं	801

*****

अनुलग्नक I: दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 773 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित

ओडिशा में रैंप के माध्यम से लाभान्वित एमएसएमई की जिले-वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	लाभांवित एमएसएमई की संख्या
1	अंगुल	50
2	बौध	-
3	बलांगीर (ए)	80
4	बारगढ़	160
5	बालासोर (टी)	449
6	भद्रक	160
7	कटक	519
8	देवगढ़ (टी)	-
9	ढेंकनाल (ए)	201
10	गंजम	580
11	गजपति (टी एंड ए)	245
12	झारसुगुड़ा (टी)	132
13	जाजपुर	205
14	जगतसिंहपुर	180
15	खोरधा	857
16	क्योंझर (टी)	125
17	कालाहांडी (टी एंड ए)	80
18	कंधमाल (टी एंड ए)	87
19	कोरापुट (टी एंड ए)	182
20	केंद्रपाड़ा	80
21	मल्कानगिरी (टी एंड ए)	-
22	मयूरभंज (टी)	362
23	नबरंगपुर (टी एंड ए)	80
24	नुआपाड़ा (ए)	-

25	नयागढ़	266
26	पुरी	533
27	रायगड़ा (टी एंड ए)	140
28	संबलपुर (टी)	114
29	सुबर्नपुर (सोनेपुर)	-
30	सुंदरगढ़ (टी)	75
	लाभान्वित एमएसएमई की कुल संख्या	**5942**
	वर्चुअल कार्यशालाओं के माध्यम से लाभान्वित एमएसएमई की संख्या	773
	रैंप क्रियाकलापोंके माध्यम से लाभान्वित एमएसएमएसई की कुल संख्या	**6715**

टी: जनजातीय बहुल ब्लॉक वाले जिले

ए: आकांक्षी जिले